बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

सं0सं0-स0क0निग0-36/2021-1838/श्रीमती कुमारी सीमा, तत्कालीन प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, काको, जहानाबाद के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), जहानाबाद के पत्रांक-1076 दिनांक-16.06.2021 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र-'क' में वित्तीय नियमावली के विरूद्ध कार्य करके प्रभारी नाजिर के सहयोग से 37 लाख रूपये से अधिक की सरकारी राशि का गबन करने में सहयोगी रहने, गबन करने के मंशा से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद के मोबाईल नं० की जगह तत्कालीन प्रभारी नाजिर के मोबाईल नम्बर को अधिकृत कर नेट बैंकिंग एवं बैंक कार्य कराये जाने जिसके फलस्वरूप संबंधित नाजिर द्वारा 15 लाख से अधिक की सरकारी राशि नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने निजी खाते में हस्तांतरित करने आदि का आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्राप्त प्रपत्र 'क' के आलोक में आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-2596 दिनांक-08.07.2021 एवं पत्रांक-2991 दिनांक-30.07.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किये जाने पर उनके पत्रांक-493 दिनांक-15.08.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा आरोपित पदाधिकारी को तत्काल निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

तदलोक में श्रीमती सीमा को विभागीय अधिसूचना सं०-3877 दिनांक-16.09.2021 द्वारा निलंबित किया गया एवं कलांतर में विभागीय अधिसूचना संख्या-3652 दिनांक-20.07.2023 द्वारा इन्हें निलंबनमुक्त किया गया।

साथ हीं विभागीय संकल्प संख्या-4095 दिनांक-30.09.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 एवं नियमावली के नियम-17(2)(5)(क) एवं (ग) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए मुख्य जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्रीमती कुमारी सीमा, उप सचिव, समाज कल्याण विभाग को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। मुख्य जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तुत मामले में अपने पत्रांक-506 दिनांक-11.07.2022 द्वारा श्रीमती वन्दना प्रियदर्शी, तत्कालीन सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना-सह-जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन हेतु हस्तांतरित किया गया।

सचिव-सह-जॉच आयुक्त द्वारा अपने पत्रांक-1735 दिनांक-15.04.2025 द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमे आरोपों के आलोक में निष्कर्षत: प्रतिवेदित किया गया है कि मामले में लेखापाल, श्री राजीव करण एवं बैंक की भूमिका संदिग्ध है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बैंक द्वारा कुछ चेकों को उनके व्यपगत (expire) तिथि के बाद भी चेक की राशि को लेखापाल के खाते में हस्तान्तरित किया गया है। परन्तु उक्त मामले में आरोपित पदाधिकारी द्वारा भी कुछ शिथिलता बरती गयी है। यदि आरोपित पदाधिकारी द्वारा Bank Reconciliation एवं कैशबुक का Verification नियमित अवधि पर किया जाता, तो संभवतः यह मामला नहीं बनता। इनके द्वारा बचाव बयान में यह कहा गया है कि आरोपित लेखापाल श्री राजीव करण द्वारा उनका मोबाइल हैक कर लिया गया था, जिसके कारण उन्हें विपत्र पारित करने के क्रम में OTP हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस संबंध में इनके द्वारा कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, परन्तु इनके स्थानांतरण के उपरांत भी कार्यालय द्वारा तत्कालीन DPO श्रीमती रश्मि सिंह का माह नवम्बर, दिसम्बर, 2020 एवं जनवरी, 2021 का वेतन विपत्र की निकासी CFMS से की गयी है। इससे आरोपित पदाधिकारी का यह कथन कि "उनका मोबाइल हैक कर लिया गया है", को बल मिलता है, किन्तु इसे beyond doubt प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त से यह परिलक्षित होता है कि आरोपित पदाधिकारी का अपने कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण नही था एवं अधीनस्थ कर्मियों पर अत्यधिक निर्भरता थी। जो कि इस गबन का होने में सहायक रही है तथा आरोपित पदाधिकारी को इस मामले में इस हद तक जिम्मेदार माना गया।

उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के तहत आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-6299 दिनांक-25.08.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मॉग किये जाने पर उनके पत्रांक- कैम्प-2 दिनांक-25.11.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। जिसकी समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा कुमारी सीमा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, काको, जहानाबाद सम्प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सकरा, मुजफ्फरपुर को अपने कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रहने एवं अधीनस्थ कर्मियों पर अत्यधिक निर्भरता के

कारण इस तरह की घटना घटित होने के लिये कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य के लिए सचेत किये जाने तथा निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

अत: कुमारी सीमा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, काको, जहानाबाद सम्प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सकरा, मुजफ्फरपुर को अपने कार्यालय पर प्रभारी नियंत्रण नहीं रहने एवं अधीनस्थ कर्मियों पर अत्याधिक निर्भरता के कारण इस तरह की घटना घटित होने के लिये कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य के लिए सचेत किया जाता है।

2. निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन भुगतान देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13/4/26

(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

1838

ज्ञापांक-स०क०निग०-36/2021- पटना- 15, दिनांक :- 13.4.2026

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

1838

ज्ञापांक-स०क०निग०-36/2021- पटना- 15, दिनांक :-13.4.2026

ईमेल/ निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, /मगध/तिरहुत/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/मुजफ्फरपुर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद/मुजफ्फरपुर/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधानआप्त सचिव / अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग / विशेष कार्य पदाधिकारी(स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं कुमारी सीमा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, काको, जहानाबाद सम्प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सकरा, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।